बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार के सभी जिला में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में काफी अनियमितता बरती जा रही है। सरकार द्वारा संचालित जनहित योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पूरे जिले में सरकारी राशि की अनियमित निकासी की जा रही है। जिससे आम जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अत: सरकार से मैं बिहार के सभी जिला में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सघन जांच तथा इसमें संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 208/2017– 1837 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना शहर अन्तर्गत एन.एच.-30 पर बेउर मोड़ से जीरो माईल के बीच बाईपास पर जो कट है उससे पश्चिम एवं पूरब खेमनीचक से नन्दलाल छपरा तक की सवारियां आती-जाती हैं। बाईपास से दक्षिण ओर सर्विस लेन है तथा उत्तर तरफ भी जल्द ही सर्विस लेन तैयार होने वाला है। कार्यालय के समय में इस सड़क पर बाईपास एवं सर्विस लेन सहित सारी सड़क भयंकर जाम का रूप धारण कर लेती है। यहां तक की शादी-ब्याह के अवसर पर स्थिति और विकराल हो जाती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ट्रैफिक कन्ट्रोल की सुदृढ़ व्यवस्था के साथ-साथ गाडियों को रोकने के लिए लाल एवं चलने के लिए हरे रंग की बत्ती सिगनल का उपयोग की व्यवस्था करना अति-आवश्यक है। यदि सिगनल की व्यवस्था कर दी जाती है तो जाम से तथा दुर्घटना से आम जनता को मुक्ति मिल सकती है।

अत: मैं सरकार से एन.एच.-30 के कट स्थानों पर सिगनल की व्यवस्था (लाल एवं हरी बत्ती) करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 211/2017– 1835 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राजीव रंजन गुप्ता, वरीय अंकेक्षक का स्थानांतरण पारस्परिक (म्यूचुअल) अशोक टोपो, व.अं. के विरूद्ध हुआ था जो वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार को लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। गृह विशेष विभाग की अधिसूचना सं.- 132/10-7802 की कंडिका-3 के अनुसार दिनांक- 31 अगस्त, 2010 के बाद Inter State Transfer को पूरी तरह बंद कर दिया गया। परन्तु वित्त अंकेक्षण विभाग के ज्ञापांक- 601 दिनांक- 17.10.2016 के द्वारा श्री गुप्ता को झारखंड राज्य में योगदान हेतु विरमित किया गया। उक्त आलोक में गुप्ता द्वारा कर्तव्यनिष्ठता का पालक करते हुए दिनांक- 09.01.2017 को मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय योजना सह वित्त (अंकेक्षण) विभाग, झारखंड, रांची में योगदान समर्पित किया परंतु अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति से सम्यक विचारोपरांत श्री गुप्ता के योगदान को अस्वीकृत करते हुए उनकी सेवा बिहार राज्य सरकार को वापस कर दिया गया। फलस्वरूप गुप्ता ने 20.04.2017 को अपना योगदान बिहार वि.अं.वि. में समर्पित किया। परंतु विभागीय लापरवाही के कारण विगत 8-9 माह से वेतन के अभाव में मानसिक एवं आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

अत: राजीव रंजन गुप्ता, व.अ., बिहार को अविलम्ब योगदान स्वीकृत करते हुए वेतन भुगतान कर मानसिक एवं आर्थिक तंगी से बचाया जाए। विभागीय अध्यादेश का अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सतीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 212/2017– 1836 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद् समस्तीपुर टेचिंग ग्राउण्ड की लगभग 3.00 एकड़ जमीन है। परन्तु उक्त जमीन को नगर परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सांठ-गांठ से अतिक्रमण कर अपना-अपना आवास बना लिया गया है। जबकि वर्ष 2004 में ही स्थानीय प्रशासन द्वारा अवैध बन्दोबस्ती को रद्द कर दिया गया है। सरकार द्वारा समस्तीपुर नगर परिषद् में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु 69 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। किन्तु अतिक्रमित भूमि के कारण सम्राट अशोक भवन का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है।

अत: ऊपर वर्णित अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा को मुक्त कराते हुए टेचिंग ग्राउण्ड पर सम्राट अशोक भवन का निर्माण करने एवं सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- हरिनारायण चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 213/2017– 1838 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

औरंगाबाद जिला के बारूण दाउदनगर पथ पर लखडिहरा के पटना कैनाल में लगभग तीन करोड़ के लागत से तीन वर्ष पूर्व से ही पुल बनकर तैयार है। जबकि उक्त पुल का एप्रोच पथ का निर्माण नहीं होने के कारण आज तक पुल चालू नहीं हो सका, जिसके कारण उस इलाका की जनता में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है। आम जनता एप्रोच पथ का निर्माण कराए जाने का आग्रह विभाग से कर चुकी है। तत्पश्चात अभियंताओं द्वारा एक माह में पुल चालू करने का आश्वासन दिया जाता रहा है। लेकिन तीन वर्ष बाद भी अभी तक पुल चालू नहीं हो पाया है। उक्त एप्रोच पथ में किसानों का जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है, लेकिन किसानों को अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। जो पूर्व का लखडिहरा पुल है वह 100 साल पुराना है और विभाग द्वारा उसे खतरनाक घोषित किया जा चुका है।

अत: मैं जनहित में सरकार से उक्त पुल के एप्रोच पथ में पड़े किसानों की जमीन का मुआवजा का भुगतान कर पुल के एप्रोच पथ का निर्माण यथाशीघ्र करवाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजन कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 214/2017– 1839 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19/8/17
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

अवर निबंधन पदाधिकारी, हिलसा (नालंदा) द्वारा गलत तरीके से निबंधन किया जा रहा है जिससे सरकारी राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है, इनके द्वारा नियम कानून की अनदेखी की जा रही है एवं लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। एक ही दिन में दोनों श्रेणियों- आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड को निबंधन किया जा रहा है जो नियमानुकूल नहीं है एवं मकान का स्थल निरीक्षण किए बगैर एवं दूसरे प्लॉट की तस्वीर खिंचवाकर गलत ढंग से प्लॉट का निबंधन किया जा रहा है। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से जानबूझकर अनावश्यक रूप से पेंडिंग करके नाजायज उगाही करने के बाद ही निबंधन किया जाता है। साथ ही गैरमजरूआ मालिक एवं बकास्त भूमि की चिट्ठी बनाकर नाजायज वसूली कर रजिस्ट्री की जाती है। उदाहरणस्वरूप दिनांक- 18.03.2017 को इस्लामपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत पनहर में एक मकान का दानपत्र में निबंधन हुआ जिसमें स्थलीय निरीक्षण के बगैर वास्तविक मूल्य यानि संरचना की लागत को छुपाकर निबंधन किया गया है जिससे सरकारी राजस्व की हानि हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि अवर निबंधन पदाधिकारी, हिलसा सहित सभी कर्मी इसमें लिप्त है।

अत: उक्त वर्णित विषय पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह./- रीना देवी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 215/2017– 1840 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19/8/17

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

कृषि विभाग अंतर्गत प्रसार का सुदृढीकरण, राज्य योजना के तहत संपूर्ण बिहार के कुल 8463 ग्राम पंचायतों के लिए चिन्हित पदों के विरूद्ध किसान सलाहकारों को चयनित व नियोजित किया गया है। इनका नियोजन सक्षम प्राधिकार, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया गया। नियोजन हेतु इनकी निर्धारित न्यूनतम अर्हता इन्टरमीडिएट विज्ञान है और इनके चयन के समय आरक्षण संबंधी अधिनियम का नियमानुसार अनुपालन किया गया। प्रारंभ में इन्हें प्रतिमाह कार्य अवधि 4 घंटा प्रतिदिन के लिए मानदेय का भुगतान किया जाता था जो वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर 6 घंटे प्रतिदिन किया गया परन्तु मानदेय 8,000/- रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। समय-समय पर इन्हें राज्य सरकार के द्वारा जनहित के अन्य कार्यों जनगणना, निर्वाचन, आपदा-राहत आदि कार्यों में पूर्णकालिक कर्मियों की तरह लगाया जाता रहा है।

अत: सरकार से किसान सलाहकारों को कार्यक्षेत्र एवं कार्य-पद्धति के अनुरूप पूर्णकालिक कर्मी मानते हुए मानदेय राशि भुगतान कराने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।।

ह./- रामचन्द्र भारती,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 216/2017– 1841 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

19/8/17
(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

गया जिलान्तर्गत इमामगंज प्रखंड के नौडीहा रोहवे ग्राम स्थित लब्जी नदी पर बना पुल निर्माण में गुणवत्ता पूर्ण सामग्री इस्तेमाल नहीं करने के कारण टूट गया है। पुल टूटने से लगभग 20,000/- की आबादी का सम्पर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। झारखंड राज्य से जोड़ने वाला ये एक महत्वपूर्ण पुल है। पुल टूटने से झारखंड राज्य का सम्पर्क समाप्त हो गया है। इमामगंज से रांची 50 कि.मी. अतिरिक्त घूम कर जाना पड़ रहा है।

अत: पूर्व की तरह आवागमन सुनिश्चित करने हेतु इस महत्वपूर्ण पुल का गुणवत्तापूर्ण निर्माण के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- डॉ. उपेन्द्र प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 217/2017– 1842 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 19.08.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 24.08.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नरेन्द्र प्रसाद सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।